कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, उ0प्र0, आगरा।

पत्रांक /14–1 आगरा, दिनांक, दिसम्बर 06 , 2019.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0– 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 एवं आपका पत्रांक 202/अलीगढ़/13877/2015 दिनांक 28.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण कर आख्या एवं संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अपनी पत्र संख्या 2095/अलीगढ़/13877/यूपी–135/2015 दिनांक 05.12.2019 से संस्तुति सहित वन संरक्षक, अलीगढ़ के कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 989/11–सी दि0 19.11.2019 से प्राप्त निर्देशों के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर विषयगत प्रस्ताव में प्राप्त आख्या एवं संशोधित प्रस्ताव निम्न प्रकार 03 प्रति में प्रेषित हैः–

S.no.	Objection	Reply
1	The information regarding Non Forest Land (NFL) at A-1(ix) of part in incorrect.	Non Forest land से सम्बन्धित सूचना A-1(ix) पर अपलोड कर दी गयी है।
2	The information regariding time period of diversion at A-1(x) of part in incorrect.	Time period of diversion से सम्बन्धित त्रुटिरहित सूचना A-1(x) पर अपलोड कर दी गयी है।
3	The details of non forest land at B-2 of part is incorrect.	Non Forest land से सम्बन्धित त्रुटिरहित सूचना A-1(ix) पर अपलोड कर दी गयी है।
4	The kml file of proposed forest land for diversion is showing tilt and it overlaps with the existing road and the same needs revision.	kml file में आवश्यक संशोधन कर, संशोधित के0एम0एल0 फाइल, सी0डी0 संलग्न कर दी गयी है।
5	The geo coordinates of the curvilinear portion of proposed forest land diversion has not been provided in C (iv) of part I.	प्रस्तावित स्थल के Curvilinear portion के Geo coordinates C(iv) पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। (पृष्ठ सं0–47)
6	The kml file of compensatory afforestation shows overlap with road and existence of vegetation, thus location of CA needs revision.	प्रस्तावित स्थल का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल पर छोटे छोटे पेचों में वनीकरण कार्य कराया जा सकता है। चूंकि नवीन गाइडलाइन्स के अनुसार, मात्र 50 पौधों की सूरक्षा, सर्वधन, सिंचाई व्यवस्था आदि अलग से किया जा पाना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल पर 50 पौधों का रोपण खाली स्थानों पर किया जायेगा, ताकि वृक्षारोपण की शत–प्रतिशत् सफलता सुनिश्चित की जा सके।

Scanned by CamScanner

7	Compensatory afforestation scheme should be framed as per provisions contained in section 3.2 (viii) of the FCA Handbook of 2004.	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम में आवश्यक संशोधन कर, संशोधित क्षतिपूरक वनीकरण की स्कीम व प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित है। (पृष्ठ सं0 67–69)
8	The certificate regarding "Van Swaroop Forestland" "Protected Area or wildlife Migration Corridor" etc which are for forest related issue has been provided on User Agency letter head and dispatch number rather the some shall be issued from the concerned DFO's office.	प्रस्तावित स्थल "वन स्वरूप क्षेत्र न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र" एवं " संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव विहार एवं हाथी कॉरीडोर न होने संबंधी प्रमाण पत्र" प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा निर्गत कर, संलग्न कर प्रषित है। (पृष्ठ सं0 24 एवं 25)
9	On various documents name and date of signing authority has not been provided.	विभिन्न अभिलेखों पर नाम व दिनांक अंकित कर दिये गये है।

इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रिटेल आउटलेट का सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना सम्पर्क मार्ग निर्माण पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास रेंज द्वारा केस सं0 02/इगलास/18–19 दिनांक 21.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी है। उक्त स्थल का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 22.10.2019 को स्वयं निरीक्षण कर पुष्टि की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्रांक 29.01.2018 के पैरा बी–2 के अनुसार निम्न कार्यवाही की गयी है।

क्र0 सं0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या (मय संलग्नकों सहित)
(i)	The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspection officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.	Penalty Calculation Certificate संलग्न है। (पृष्ठ सं0–57)
(ii)	In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.	Penalty Calculation Certificate संलग्न है। (पृष्ठ सं0–57)
(iii)	State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.	उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)–(पृष्ठ सं0–61–65)
(iv)	User agency responsible for violation shall be prosecuted under local act of the state for unauthorized use of forest land without the permission of state authority.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सक्षम स्तर से बिना अनुमति प्राप्त किये, रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण किये जाने के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न आवश्यक अभिलेख संलग्न हैं– 1. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ की Site Inspection Report/प्रमाण पत्र। (पृष्ठ सं0–54) 2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण)

Scanned by CamScanner

		नियमावली, 2003 की धारा–9 (1) के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी को पत्र सं0 1433/14–1 दि0 30.10.2019 द्वारा निर्गत नोटिस की प्रति। **(पृष्ठ सं0–60)** **3.** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में 04 बिन्दओं की बिन्दुवार आख्या का उल्लंघन प्रस्ताव। **(पृष्ठ सं0–58–59)**

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।

पत्रांक: 1662/14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 989/11–सी दिनांक 19.11.2019 के कम में सूचनार्थ एवं विषयगत प्रस्ताव की मूल पत्रावली सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु वापिस किया जाता है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके पत्रांक 2095/अलीगढ़/13877/यूपी–135/2015 दिनांक 05.12.2019 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।

Rivend For copy of Proposal of Nodal Officer In Original

7/12/19

Scanned by CamScanner